

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. ननछूराम पुत्र मुन्नाराम जाति गुर्जर निवासी झिराना तहसील नीमकाथाना, सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 820 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम जोड़ली तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 49, 63, 71 में वादी का गलत दर्ज नाम "नानछा पुत्र मोहन/मूनाराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "ननछु राम पुत्र मुन्नाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत

राजवीर सिंह यादव

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

रूपये	पैरो	मुद्दायलह	रूपये
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिेक मीजान		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिेक मीजान	

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकें का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1 ननछूराग पुत्र मुन्नाराम जाति गुर्जर निवासी झिराना तहसील
नीमकाथाना, जिला सीकर राज।

- वादी

बनाम

1 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 820/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1545

आदेश

दिनांक - 4/12/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात
तन ग्राम जोडली तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 49, 63, 71 में वादी का गलत
दज नाम "नानछा पुत्र मोहन/भूनाराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "ननछु राम
पुत्र मुन्नाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार
नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा
तदनुसार पचा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव

उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना (सीकर)